भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3164 का उत्तर

महाकुंभ के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां

3164. डॉ. भोला सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाकुंभ 2025 के अवसर पर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई अतिरिक्त रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है तथा महाकुंभ 2019 की तुलना में रेलगाड़ियों की संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मुख्य मार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गई हैं;

(ग) क्या लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) महाकुंभ 2025 के दौरान बुक की गई कुल टिकटों की संख्या कितनी है तथा जिन लोगों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाए उनकी संख्या कितनी है और प्रतीक्षा सूची में रह गए टिकटों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने तीर्थयात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): महाकुंभ-2025 के दौरान यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रेल ने 17,300 से अधिक रेलगाड़ियां चलाईं, जिनमें 2048 कम दूरी की आने वाली रेलगाड़ियां, 3364 कम दूरी की जाने वाली रेलगाड़ियां और

996 लंबी दूरी की रेलगाड़ियां शामिल थीं। वर्ष 2019 के कुंभ में 8394 रेलगाड़ियां चलाई गईं, जिनमें 694 स्पेशल रेल सेवाएँ शामिल थीं। इसके अलावा, पहली बार, महाकुंभ-2025 के दौरान अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली 442 अदद रिंग रेल सेवाएँ दैनिक आधार पर चलाई गईं। इन सभी उपायों से लगभग 4.24 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान की गई।

(ङ) और (च): स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेल सुरक्षा बल द्वारा अन्य हितधारकों के सहयोग से निम्नलिखित कदम उठाए गए:

1. भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस और संबंधित रेलवे विभागों के साथ समन्वय किया गया।
2. अत्यधिक व्यस्त अवधि के दौरान भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और यात्रियों को तत्काल सहायत प्रदान करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर जीआरपी और रे.सु.ब. कर्मचारियों को तैनात किया गया।
3. यात्रियों की भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त घेरे बनाए गए और प्लेटफॉर्मों पर गाड़ियों में चढ़ने के दौरान तथा उनके प्रवेश को विनियमित किया गया।
4. प्रारंभिक स्टेशनों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के सामान्य डिब्बों में यात्रियों के निर्बाध बोर्डिंग के लिए कतार व्यवस्था की गई।
5. सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी कैमरों द्वारा 24x7 निगरानी की गई।
6. भीड़ के संबंध में सूचना एकत्र करने के लिए आसूचना इकाइयों (अपराध आसूचना शाखा/विशेष आसूचना शाखा) और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को तैनात किया गया और तदनुसार राजकीय रेल पुलिस/पुलिस को शामिल करते हुए व्यवस्था की गई।
7. प्रयागराज के स्टेशनों पर राज्य पुलिस, आसूचना इकाइयों और अन्य रेल विभागों के समन्वय से संभावित घटनाओं को शीघ्र और प्रभावी ढंग से संभालने के लिए एक प्रतिक्रिया योजना विकसित की गई।

*****